



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 234]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2002/भाद्र 19, 1924

No. 234]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2002/BHADRA 19, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2002

विषय : यूएसए, कोरिया (गण.) तथा थाइलैंड मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा—अंतिम जांच परिणाम—शुद्धिपत्र।

सं. 26/1/2001-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 6 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं. 26/1/2002-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे।

2. एक्रिलोनाइट्राइल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में हुए परिवर्तनों के कारण होमोपॉलिमर एक्रिलिक फाइबर की कीमत में संशोधन से संबंधित शर्त के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 6 अगस्त, 2002 के उपर्युक्त जांच परिणामों के पैरा 64 के अंत में उल्लिखित शर्त में निम्नलिखित परिवर्तन करने का आदेश दिया है।

3. जांच परिणामों के पैरा 64 के नीचे दी गयी संशोधित शर्त को निम्नानुसार अब पढ़ा जाएगा :

'तथापि इस शर्त के अधीन रहते हुए कि संबद्ध देशों से 100% एक्रिलोनाइट्राइल वाले होमोपॉलिमर एक्रिलिक फाइबर के आयात अब 2.40 अमरीकी डालर/किग्रा. और उससे अधिक की सीआईएफ—भारतीय पत्तन कीमत पर किया जाता है तो उस पर उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की लेवी से छूट प्रदान की जाएगी। इस कीमत में 5% का अंतर अनुमत्त होगा'।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th September, 2002

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty concerning imports of Acrylic Fibre originating in or exported from USA, Korea (RP) and Thailand—Final Findings—Corrigendum.

No. 26/1/2001-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof, the Designated Authority had issued Final Findings vide Notification No. 26/1/2001-DGAD dated 6th August, 2002.

2. Having considered the difficulty in implementation of condition relating to revision of price of Homopolymer Acrylic Fibre due to changes in the international price of Acrylonitrile, the Designated Authority has ordered to make the following changes in the condition appearing at the end of para 64 of the aforesaid final findings dated 6th August, 2002.

3. The amended condition below para 64 of the findings shall now read as under :

‘Subject however to the condition that imports of Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile from subject countries, when made at a price US \$ 2.40/kg. and above CIF—Indian port, would be exempt from the levy of above anti-dumping duty. Variation of 5% in this price shall be permissible’.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority